न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-95/2005

"मृतक" सांवलराम पुत्र जगनाराम जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू" नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।"

1/1- होशियारसिंह पुत्र स्व0 सावंलराम जाति चमार पेशा खेती निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

1/2- "मृतक" उमरावसिंह पुत्र सांवलराम जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू" नोट दौराने अपील दिनांक 23-2-2010 को देहान्त हो गया।"

1/2/1-"मृतक" सरस्वती पत्नी स्व0 सावलराम जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू-"नोट दौराने अपील देहान्त हो गया।"

1/2/2- श्योबाई पत्नी स्व0 उमरावसिंह जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

1/2/3-"मृतक" कृष्णकुमार पुत्र स्व0 उमरावसिंह जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहान जिला झुन्झुनू "नोट देहान्त हो गया ।"

1/2/3/1-सविता पत्नी स्व0 कृष्णकुमार जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

1/2/3/2- अजय
1/2/3/3- पुरूषोत्तम) पुत्रगण स्व0 कृष्णकुमार जाति चमार निवासी लाम्बी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू वाद मित्र सविता पत्नी स्व0 कृष्णकुमार जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

1/2/4- पवनकुमार पुत्र स्व0 उमरावसिंह जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

1/2/5- मीना पुत्री स्व0 उमरावसिंह पत्नी दलीप जाति चमार निवासी रामपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियणा)

2- बुद्धराम पुत्र स्व0 जगनाराम जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

"मृतक" सुलतान पुत्र पालाराम जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0) नोट दौराने दावा देहान्त हो0 गया ।

1/1- बाबुलाल पुत्र स्व0 सुलतान जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0)

1/2-मृतक" मु0 सुमन पुत्री स्व0 सुलतान स्त्री गिरवर जाति चमार निवासी टीबा वाला मौहल्ला हिसार (हरियाणा) नोट दौराने दावा देहान्त

1/2/1- गिरवर पुत्र फूलचन्द जाति चमार निवासी टीबा वाला मौहल्ला हिसार जिला हिसार(हरियाणा)

1/2/2 हरिश पुत्र
1/2/3- दौलत पुत्र
1/2/4- मु0 ज्योति पुत्री
गिरवर जाति चमार निवासी टीबावाला मौहल्ला हिसार जिला हिसार(हरियाणा) नाबालिगान जरिये कुदरती गिरवर पुत्र फूलचन्द जाति चमार निवासी टीबावाला मौहल्ला हिसार(हरियाणा) पिता खुद-

1/3- मु0 सन्तोष पुत्री स्व0 सुलतान स्त्री ओमप्रकाश जाति चमार निवासी ग्राम व पोस्ट खातोद तहसील व जिला महेन्द्रगढ(हरियाणा)

2-"मृतक" मनभर पुत्र स्व0 जगनाराम जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू- नोट दौराने अपील दिनांक 11-1-2009 को देहान्त हो गया । "

2/1-"मृतक" पार्वती पत्नी स्व0 मनभर जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

2/2- कृपानन्द तथाकथित दत्तक पुत्र स्व0 मनभर जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

3- प्रसादाराम पुत्र जगनाराम
4- प्रकाश पुत्र स्व0 जगनाराम
5- सुभाष पुत्र स्व0 सांवलराम
जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

6-"मृतक" मु0 पतासी बेवा मंगलिया जाति चमार निवासी साग तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू"

6/1- भानीदेवी बेवा रामकुमार पुत्री पतासी व स्व0 मंगलीया उर्फ मागेलाल जाति चमार निवासी भावठडी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

6/2- गुलाब स्त्री महावीर पुत्री पतासी व स्व0 मंगलिया उर्फ मागेलाल जाति चमार निवासी भावठडी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

7- खेताराम
8- लीलाधर
9- सत्यपाल
पुत्रगण स्व0 गगलिया जाति चमार निवासी साग तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

10-"मृतक" मूलचन्द पुत्र देवीसहाय जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसी बुहाना जिला झुन्झुनू"नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।"

10/1- सुमेर
10/2- सरजीत
10/3- काजु
10/4- पप्पू
पुत्रगण मूलचन्द जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0)

11- मु0 मिश्रीदेवी बेवा रामकुमार
12- बनवारी पुत्र पालाराम
जाति चमार निवासी दुवाराना रोड दत्ता फैक्ट्री के पीछे न्यु आबादी कोटकापुरा जिला फरीदैगोट(पंजाब)

13- राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0)

14- सुरेश पुत्री स्व0 सरस्वती व स्व0 सावलराम पत्नी भोजाराम जाति चम निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

15- मैनावती पुत्री स्व0 सरस्वती व स्व0 सावलराम पत्नी सोमदत जाति चमार निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू म नवासी खा खातोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ(हरियाणा)

16- भोरपाल
17- संदीप
पुत्रगण स्व0 सन्तोष व ईश्वरसिंह जाति चमार निवासी खातोद पोस्ट खातोद वाया महेन्द्रगढ तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ(हरियाणा)

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19-10-2005 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी, खेतडी ।
---0---

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में दावा दुरूस्ती रेकार्ड व घोषणात्मक एवं खाता विभाजन क पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बी अहीरान में जमाबन्दी सं0- 2012 के खसरा नम्बर 227 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 226 रकबा 3 बीघा 11 ख0नं0 240 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 166 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता-4 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा के मंगलिया व पाला पुत्र नानिग व देवला पुत्र बुटिया गंगलिया पुत्र झाबर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे उक्त आराजी में ख0नं0 166 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 428 रकबा 0.88 हैक्टर पर सदैव से वादी का पिता काश्त करता था वादी के पिता के बाद अब वादी काश्त करता है। वादी के रामकुमार व बनवारी दो भाई और थे जो ग्राम लाम्बी अहीरान को छोडकर कोटकापुरा जिला फरीदकोट पंजाब आबाद हो गये। जिससे गत 30 वर्षों से इस खसरा नम्बर 428 पर वादी अकेला ही काबिज काश्त है ।गलती से इस आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई तथा वादी की खातेदारी हटा दी। जिसके कारण प्रतिवादीगण ने इस आराजी की काश्त वादी को नहीं करने देने की धमकी दी, जिस पर यह दावा किया। जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । दावे में वादी ने यह दर्ज नहीं किया है कि प्रतिवादी सं0-10 व 11 का हि0 किस प्रकार समाप्त हुआ है तथा जगनाराम के वारिसों का हिस्सा कैसे खत्म हुआ । जबकि जगनाराम व पालाराम सगे भाई थे । जगनाराम, देवला उर्फ देवीसहाय व मंगलिया के विधिक प्रतिनिधिकरण को हिस्सा कैसे नहीं मिला यह दावे में दर्ज नहीं किया । रामसिंह पुत्र सुखसिंह को 1/2 हिस्से का खातेदा काश्तकार घोषित करने में कानूनी भूल की है ।रामसिंह दावे में पक्षकार ही नह बिना सिद्धि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के कारण अदालत

मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट सं0-1/1 व 1/2 को जबाब दावा पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया । अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपना बिना सिद्धि के आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवाद आराजी ख0नं0 428 रकबा 0.88 हैक्टर जिसके गत ख0नं0 166 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का है । जिसमें वादी ने जगना व पाला की खातेदारी स्वीकार की है ।पालाराम व जगनाराम दोनो सगे भाई हैं इनका विवादित आराजी में से हिस्सा किस प्रकार समाप्त हुआ दर्ज नहीं किया। दावा प्रतिकूल कब्जा काश्त के आधार पर धारा-19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी पेश नहीं है तथा न ही वादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 विवादित आराजी का उप कृषक दर्ज है ।जब वादी ने धारा-19 के तहत कोई सहायता नहीं चाही और न ही वह विवादित आराजी का उप कृषक है तो उसे खातेदार किस प्रकार घोषित किया गया । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया। इसके बाद अदालत मातहत ने रामसिंह को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जिसकी कोई सिद्धि ही दावे में नहीं चाही गई तथा ना ही वह दावे में पक्षकार है । इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । विवादित आराजी का सहखातेदार सम्वत 2012 से लगातार दर्ज चले आ रहे हैं । हमारी खातेदारी को अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के समाप्त कर रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित करने में कानूनी भूल की है ।बहस के समर्थन में कानूनी नजीर आरबीजे 2012(हाई कोर्ट) पेज-460, आरएलडब्लू 2008(2)राज0(हाईकोर्ट) पेज-812, एआईआर 2003

(एस0सी0) पेज 160, आरआरटी 2009(2)(एस0सी0) पेज-1192, आरबीजे 2010(एस0सी0) पेज 628 एवं आरआरटी 2011(2) पेज-1337 पेश कर अपी अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने क निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में कोई जबाब दावा पेश नहीं किया । विवादित आराजी ख0नं0 166 रकब 3 बीघा 10 बिस्वा का सुलतान पुत्र पाला 1/2 व रामसिंह पुत्र सुखसिंह हि0 1/2 जमाबन्दी सं0 2012 से 2019 तक उप कृषक दर्ज रहे हैं । अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद ही अपना निर्णय दिया है । प्रतिवादीगण ने कोई जबाब पेश नहीं किया तथा न ही यह बताया कि वह इस आराजी के खातेदार किस प्रकार हुये कोई जबाब पेश नहीं किया । योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय जबाब दावा नहीं आने पर राजस्व रेकार्ड क अवलोक कर पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं । अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य भिन्न है । अपीलान्ट की अपी खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2024 में ख0नं0 166 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 226 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 240 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी सांवलराम मनभर बुद्धराम रामप्रसाद पुत्र जगन हि0 1/3, गंगलिया पुत्र झाबर 1/3, मूलचन्द पुत्र देवीसहाय 1/3 कौम चमार के नाम दर्ज है । प्रदर्श 3ए जमाबन्दी में सं0-2028 से 2031 में भी जमाबन्दी सं0-2024 के अनुसार खातेदारी दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2012 से 2015 में ख0नं0 166 रकबा 3बीघा 10 बिस्वा उपकृषक सुलतान वल्द पाला हि0 1/2, रामसिंह पि0 सुखसिंह हि0 1/2 के नाम दर्ज है । प्रदर्श-1ए खसरा गिरदावरी में ख0नं0 166 रकबा 3 बीघ 10 बिस्वा का उपकृषक जगनीया पालीया पि0 नानगा हि0 1/3 देवा पिता

बुटी हि0 1/3, मंगला पि0 झाबर 1/3 कौम चमार दर्ज है । सुल्तान पुत्र पाला 1/2, रामसिंह पुत्र मनसुख 1/2 के नाम दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2024 में जगन के वारिसों को हिस्सा है। पाला के वारिसान का भी हिस्सा दर्ज है । पालाराम जगनराम दोनों सगे भाई है । इनका हिस्सा किसी प्रकार समाप्त हुआ स्पष्ट नहीं है । वादी ने अपने दावे में भी स्पष्ट नहीं किया ।साथ ही 1/2 हिस्से का रामसिंह पुत्र मनसुख को खातेदार घोषित किया है जबकि रामसिंह को दावे मे पक्षकार तक नहीं बनाया गया है।साथ ही अपीलान्ट सम्वत 2012 से उक्त आराजी का सहखातेदार है और एक सहखातेदार का कब्जा है तो सभी सहखाते--दारों का कब्जा माना जावेगा यह कानून की अवधारणा है जैसा विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों से स्पष्ट है ।अदालत मातहत ने रामसिंह को खातेदार घोषित किया है किन्तु वह दावे में पक्षकार तक नही है ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय तथ्यों के विपरित पारित किया है । जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-10-2005 को खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.3.2018 को सुनाया गया ।

13/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर